



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 12.05.2026

ऑपरेशन स्माइल के अंतर्गत थाना बडौत पुलिस ने लावारिस अवस्था में घूम रही रास्ता भूली/मंदबुद्धि महिला को संरक्षण में लेकर अथक प्रयासों के उपरांत उसके परिजनों की तलाश कर सकुशल परिजनों के किया सुपुर्द ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल के अंतर्गत थाना बडौत पुलिस



द्वारा गश्त/चेकिंग के दौरान लावारिस अवस्था में घूम रही रास्ता भटकी/मंदबुद्धि महिला को संरक्षण में लेकर अथक प्रयासों के उपरांत उसके परिजनों की तलाश कर सकुशल उनके सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-म0है0का0 55 मधु वर्मा थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 421 अंकुल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनांक 12.05.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 297/26 धारा 303(2) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मो0सा0 टी.वी.एस. अपाचे नं0 DL-5SAB-6451 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.05.2026 को थाना बडौत पर वादी हेमंत पुत्र सतेन्द्र निवासी पट्टी मेहर करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त के द्वारा उसकी मोटर साईकिल अपाचे नं0 DL-5SAB-6451 को चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 297/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 297/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मो0सा0 टी.वी.एस. अपाचे नं0 DL-5SAB-6451 बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीरज पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई 01 मो0सा0 टी.वी.एस. अपाचे नं0 DL-5SAB-6451

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री निकलेश रस्तोगी थाना बडौत ।
- 2- है0का0 22 अमित नागर थाना बडौत ।
- 3- का0 399 राहुल चौहान थाना बडौत ।
- 4-का0 301 मुलायम सिंह थाना बडौत ।
- 5-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत ।
- 6-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 12.05.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस तथा राजस्थान से चोरी की हुई 08 बैट्री व घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी क्विड नं0 UP-12BC-2976 बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315



बोर मय 01 जिन्दा कारतूस तथा राजस्थान से चोरी की हुई 08 बैट्री एवं घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी क्विड नं0 UP-12BC-2976 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 316/25 धारा 317(5) बी.एन.एस व 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये। यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

उस्मान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम पारसौली थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- 08 बैट्री (राजस्थान से चोरी की हुई)
- घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी क्विड नं0 UP-12BC-2976

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना बड़ौत ।
- 2-उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बड़ौत ।
- 3-है0का0 65 महिपाल सिंह थाना बड़ौत ।
- 4-है0का0 750 सुनील कुमार थाना बड़ौत ।
- 5-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना बड़ौत ।
- 6-का0 982 नीरज कुमार थाना बड़ौत ।





BAGHPAT POLICE



थाना बडौत , जनपद बागपत

साइबर हैल्प डैस्क , थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति से हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी में 1,48,500/- रुपये वापस कराये गये-

पीड़ित श्री सतीश पुत्र सुभाष निवासी खत्री गढी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन 1,81,500/- रुपये की धोखाधड़ी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई , जिसका ACKNOWLEDGEMENT नं० 33108250099029 है । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु०अ०सं० 533/25 धारा 66डी आई टी एक्ट पंजीकृत किया गया, जिसके फलस्वरूप साइबर हैल्प डैस्क, थाना बडौत द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी तथा पीड़ित के 1,48,500/- रुपये वापस कराये गये ।



रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र०सं०	थाना	प्रा० पत्र सं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	बडौत	33108250099029	1,48,500/-



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनांक- 12.05.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 149/2026 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी का सामान व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल नं0 UP-14FA-3359 व उपकरण बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.05.2026 को थाना खेकड़ा पर वादी सचिन कुमार पुत्र श्री ओमकार सिंह निवासी ग्राम फखरपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसकी व उसके पड़ोसी दीपक पुत्र रामपाल तथा धनपाल पुत्र रणधीर की ट्यूबबैल से बिजली का केवल, स्टार्टर व कट-आउट चोरी कर लिए गए। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 149/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 149/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ

16 मीटर केविल, जला हुआ कॉपर तार लगभग 04 किलो व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल नं0 UP-14FA-3359 एवं उपकरण बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-संजू पुत्र राजेश निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-शोएब उर्फ मन्नू पुत्र सलीम हाल निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत मूल निवासी कस्बा व थाना काँधला जनपद शामिल।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ 16 मीटर केविल, जला हुआ कॉपर तार लगभग 04 किलो।



- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल नं0 UP-14FA-3359 एवं उपकरण।

अभियुक्त शोएब उर्फ मन्नू का अपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 426/21 धारा 379/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 208/24 धारा 304(2)317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 77/25 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 79/26 धारा 303(2)/317(5) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0 87/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-है0का0 785 सुनील कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

4-है0का0 03 मनोज कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

5-है0का0 397 मौ0 रफीक खान थाना खेकड़ा जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 12.05.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 84/26 धारा 137(2) बीएनएस में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 84/26 धारा 137(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।



उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना रमाला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गौरव पुत्र बिलेन्द्र उर्फ कल्लू ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 84/26 धारा 137(2) बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 154/24 धारा 452/354 बीएनएस व धारा 7/8 पोक्सो एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ०नि० श्री सनव्वर अली थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-है०का० 807 सचिन थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-रि०का० 602 वेदांत थाना रमाला जनपद बागपत ।

